न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 39 / 2016 दायर दिनांक 02.11.2016

उनवान

1. बालुराम पिता खुमा जाति गुर्जर निवासी सांवता तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थी।

बनाम

1. भुमीधारी तहसीलदार तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व2 जा0दी0 एवं धारा 212 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांकः 13.12.2019

—:निर्णयः—

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व2 जा0दी0 एवं धारा 212 आर.टी.एक्ट के इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा सांवता पटवार हल्का भूपालसागर तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ की हल्के बैरूनी आबादी में हाल आराजी संख्या 1421 रकबा 0.78 हैक्ट0 है। उक्त आराजीयात के साबिक नम्बर 795 है जिस पर प्रार्थी 1970 से लेकर आज तक काबिज होकर काश्त कर रहा है तथा उक्त आराजीयात पर प्रार्थी ने 40 गज का कुआं खुदवा रहा है तथा पक्का बांध बनवाकर डिजल पम्प सेट लगा रख है। इस कारण से कब्जा मुखालफाना के अनुसार खातेदारी अधिकार की घोषणात्मक डिक्री पक्ष प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी मुल वाद में जारी फरमाने जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया सबुत के लिए जमाबन्दी, साबिक जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस, नाजायज कब्जे के नोटिस पी—14 की नकले पेश की है।

उक्त आराजीयात में प्रार्थी ने उबड खाबड पडत भूमि थी जिसको प्रार्थी के द्वारा काफी लागत लगा कर आबादान करवाया तथा 1970 से लगायत आज तक काबिज होकर काश्त कर रहें है तथा प्रतिवर्ष पेनल्टी के रूप में लगान अदा रहा है प्रार्थी गरीब व्यक्ति होकर जाति से गुर्जर है तथा उक्त आराजी के अलावा और कोई आराजी प्रार्थी के कमा खाने के लिए नही है।

अतः अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि हाल आराजी नम्बर 1421 रकबा 0.78 में से 0.66 हैक्ट आराजी पर से प्रार्थी का कब्जा नहीं हटावें तथा प्रार्थी के खिलाफ 91 एलआर एक्ट की कार्यचाही नहीं करें तथा प्रार्थी का का कुआं नहीं भरे ऐया ना तो स्वंय करें ना हि किसी अन्य व्यक्ति नोकर, ऐजेन्ट एवं अपने अधिनस्थ कर्मचारी से भी नही करावें।

हमने प्रार्थना पत्र दिनांक 02.11.2016 को दर्ज रजिस्ट्रर किया। दिनांक 04.12. 2019 को पेरोकार सरकार की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत रेकार्ड पर लिया गया। पेरोकार सरकार के जवाब प्रार्थना में मौजा सांवता आराजी नम्बर 1421 रकबा 0.78 में से 0.66 हैक्ट आराजी पर प्रार्थी का अतिक्रमण है राजकीय भूमि पर अतिक्रमित व्यक्ति को स्थगन लाने का कोई अधिकार नही है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त बाबत् निवेदन किया। हमने बहस उपभयपक्ष सुनी पत्रावली का अवलोकन किया सलग्ंन दस्तावेज का अवलोकन किया। प्रार्थी कब्जे के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा चाहता है जबकि आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी की नही है अतः कब्जे के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2019.12.24 12:35:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: